न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2022

प्रार्थीगण **बनाम** **अप्रार्थीगण**

जगमाल पुत्र लाखाजी (फौत) के कायम मुकाम वारीसानः–
1. अमरसिंह पुत्र जगमालजी
2. दिनेश पुत्र जगमालजी
3. सुगणीदेवी पत्नि जगमालजी
4. शांति पुत्री जगमालजी
5. सुकी पुत्री जगमालजी
6. कमला पुत्री जगमालजी जातियान विश्नोई निवासीयान सेवाडा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर

बनाम

1. सुरता पुत्र चतरा
2. मृतक धापु पत्नि रतना के कायम मुकाम वारीसान
   2/1. प्रतापा पुत्र रतना
   2/2. मृतक जमना पुत्री रतना माता का नाम धापु के कायम मुकाम वारीसान
   2/2/1. नाजु पुत्री जमना
   2/2/2. झमु पुत्री जमना
   2/2/3. वरधा पुत्र जमना
   2/2/4. मृतक बेचरा पुत्र जमना के कायम मुकामः–
   2/2/4/1. भमरी पत्नि बेचरा
   2/2/4/2. चेला पुत्र बेचरा
   2/2/4/3. श्रवण पुत्र बेचरा
   2/2/4/4. सोवन पुत्री बेचरा
   2/2/5. छगना पुत्र जमना
   2/2/6. प्रभु पुत्र जमना
   2/3. चतरू पुत्री रतना
   2/4. मृतक नेथी पुत्र रतना माता का नाम धापु के कायम मुकाम वारीसानः–
   2/4/1. जैसा पुत्र नेथी
   2/4/2. मफा पुत्र नेथी
   2/4/3. बबी पुत्री नेथी
   2/4/4. सरजु पुत्री नेथी
   2/5. मृतक दरगा पुत्र रतना माता का नाम धापु के कायम मुकाम वारीसानः–
   2/5/1.मोवन पत्नि दरगा
   2/5/2. सोमता पुत्र दरगा
   2/5/3. कृष्ण पुत्र दरगा
   2/5/4. सुआ पुत्री दरगा
   2/5/5. मंजु पुत्री दरगा
   2/5/6. धोली पुत्री दरगा
   2/5/7. उगम पुत्री दरगा
   2/5/8. देशु पुत्री दरगा
   2/5/9. झीणी पुत्री दरगा [illegible]यान पुरोहित निवासीयान से[illegible] तहसील रानीवाडा [illegible]ला–जालोर
3. भूमिधारी तहसीलदार [illegible]वाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार रानीवाडा

निर्णय

दिनांक — 14.07.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा सेवाडा तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1085 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1086 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नबंर 1087 रकबा 4.33 हैक्टर जुमले रकबा 4.38 हैक्टर आई हुई है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा 4 से 6 के पिता व 3 के पति जगमाल पुत्र लाखाजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जगमाल पुत्र लाखाजी की मृत्यु हो चुकी है, जिसके फौतेदगी म्युटेशन का इन्द्राज अभी तक नहीं हुआ है। नकल चालु जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1085, 1086, 1087 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक या रेकर्डेड रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते के अभाव में हमारी आराजी में काश्त करने व कृषि उपकरण व साधन लाने ले जाने में भारी कठिनाई आ रही है। इस कारण सही रूप से काश्त भी नहीं कर पा रहे है। हमारे उक्त आराजी में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने से प्रार्थीगण ने श्रीमानजी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत खातेदार को रास्ता दिलवाने बाबत पेश किया हुआ है। प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत हाजा द्वारा भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा से रिपोर्ट तलब की थी तथा भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जांच रिपोर्ट अदालत हाजा में पेश की है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की आराजी मौजा सेवाडा के नवीन खसरा नबंर 1085 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1086 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नबंर 1087 रकबा 4.33 हैक्टर जुमले रकबा 4.38 हैक्टर में आवागमन हेतु निकटतम रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी मौजा सेवाडा के नवीन खसरा नबंर 1131 रकबा 1.02 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5/9 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1134 रकबा 2.86 हैक्टर में से रास्ता दिये जाने की अवस्था में उक्त रास्ता निकटतम दुरी पर स्थित होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उनकी आराजी मौजा सेवाडा के खसरा नबंर 1085 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1086 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नबंर 1087 रकबा 4.33 हैक्टर जुमले रकबा 4.38 हैक्टर में आवागमन हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा भु—अभिलेख निरीक्षक कुडा व पटवारी सेवाड़ा की मौका फर्द व तहसीलदार रानीवाडा के बिन्दुवार रिपोर्ट दिनांक 14.2.2022 अनुसार रास्ता दिलवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। चुंकि खातेदार धापु पत्नि रतना व नेथीराम पुत्र रतनाराम की मृत्यु हो चुकी है। नेथीराम धापु का पुत्र है। इसलिये उक्त नेथीराम का नाम धापु के वारीसान में सम्मिलित है। उनके कायम मुकाम वारीसान को प्रकरण हाजा में संयोजित किया गया है।
2. प्रार्थीगण की आराजी मौजा सेवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा नबंर 1085 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1086 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नबंर 1087 रकबा 4.33 हैक्टर जुमले रकबा 4.38 हैक्टर आराजी में आवागमन हेतु कोई रास्ता मौजुद नहीं है तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग नहीं कर पा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested

रही है, इसलिये प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है तथा तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा पेश बिन्दुवार रिपोर्ट व भु–अभिलेख निरीक्षक कुड़ा व हल्का पटवारी सेवाड़ा की मौका फर्द अनुसार व नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार मार्क सी से डी स्थान अनुसार प्रार्थीया को रास्ता दिये जाने की अवस्था में कम आराजी की आवश्यकता पड़ेगी तथा निकटतम दुरी से प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन का रास्ता पड़ेगा।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की आराजी मौजा सेवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नबंर 1085 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1086 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नबंर 1087 रकबा 4.33 हैक्टर जुमले रकबा 4.38 हैक्टर आराजी में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नबंर 1131 तथा अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5/9 की आराजी खसरा नबंर 1134 में रास्ता दिलवाये जाने के आदेश फरमावें।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 2/5/9 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब दिया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जांच रिपोर्ट मय जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण खसरा नबंर 1085, 1086, व 1087 मौजा सेवाड़ा के खातेदार है। इन खसरा नबंर में पहुचने के लिए कोई कटान रास्ता नहीं है। इन्हें मार्ग की अत्यन्त आवश्यकता है। उपरोक्त खसरान के आवागमन हेतु नजदीकतम सरकारी रेकर्ड रास्ता खसरा नबंर 1225 किस्म गैर मुमकिन रास्ता है।

प्रार्थीगण के खसरो हेतु प्रस्तावित रास्ता के मध्य में खसरा नबंर 1134 व 1131 आते है। प्रस्तावित मार्ग की लंबाई व लंबाई खसरा नबंर 1134 व 1131 में क्रमशः320गुणा 4.5 व 88 गुणा 4.5 क्षैत्रफल क्रमशः1440 व 396 वर्गमीटर है। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 552600/–रूपये प्रति हैक्टर है। कुल प्रतिकर राशि की दुगुनी राशि क्रमशः 79574 गुणा 2 बराबर 159148/–रूपये व 21883 गुणा 2 बराबर 43766/–रूपये बनती है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना यथा वृक्ष आदि पहाड/नाडी नहीं है।

5. हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता व राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए खसरा नबंर 1134 की उत्तरी पश्चिमी माठ से होते हुए खसरा नबंर 1131 की पूर्वी माठ से तक 4.5 मीटर चौडा रास्ता दिलवाये जाने का निवेदन किया । तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जबाव के तथ्यों को दोहराया गया।

6. हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा नम्बर 1085, 1086, 1087 रकबा क्रमश 0.01, 0.04, 4.33 हैक्टेयर मौजा सेवाड़ा की जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 142 में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी मौजा सेवाडा के खाता संख्या 567 में खसरा नम्बर 1131 रकबा 1.02 हैक्टेयर है। व अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी खसरा नम्बर 1134 रकबा 2.86 हैक्टेयर है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी में से रास्ते के संबंध में अपनी ओर से किसी प्रकार की न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति नहीं की गई है। उक्त आराजी के पास सरकारी आराजी खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.94 हैक्टेयर किस्म गै.मू. रास्ता है। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार रानीवाडा की ओर से जवाब के अनुसार खसरा नम्बर 1134 व 1131 के अलावा कोई रास्ता नजदीकतम नही बताया गया है। व प्रार्थीगण को रास्ते की लम्बाई खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested

1134 में 320 मीटर व खसरा नम्बर 1131 में 88 मीटर तथा चौडाई 4.5 मीटर कुल क्षेत्रफल 1836 वर्गमीटर होगा, जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 दर 552600 रूपये प्रति हैक्टेयर है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–: आदेश :–

7. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1085, 1086, 1087 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1134 व 1131 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिससे रास्ते की लम्बाई खसरा नम्बर 1134 में 320 मीटर व खसरा नम्बर 1131 में 88 मीटर तथा चौडाई 4.5 मीटर कुल क्षेत्रफल 1836 वर्गमीटर है। जो आगे सरकारी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 1225 से जोडता है। खसरा नम्बर 1134 व 1131 की डी.एल.सी दर 552600 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्वि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थीगण के हिस्से अनुसार अदा करने हेतु प्रार्थीगण से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट से अप्रार्थीगण के नाम जारी करवा कर पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की प्राप्ति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से मार्क लम्बाई 408 मीटर व चौडाई 4.5 कुल क्षेत्रफल 1836 वर्गमीटर का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested